—:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

// आदेश //

क्रमांक....109..... /एक–11–1/11 उज्जैन, दिनांक ...23... दिसम्बर, 2023

मेरे **दिनांक 26.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक** शीतकालीन अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उक्त अवधि में सत्र न्यायाधीश उज्जैन की हैसियत से आवश्यक कार्य संपादित करने जिनमें नवीन जमानत आवेदन पत्र शामिल हैं, निम्नानुसार कार्य आवंटित करता हूँ :—

दिनांक 26.12.2023 से 27.12.2023

क.	न्यायालय का नाम	थाना
1	श्री संजीव कुमार गुप्ता द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	जी.आर.पी. महाकाल, जीवाजीगंज, नानाखेड़ा, नरवर, वन विभाग, नागझिरी
2	श्री अभिषेक नागराज तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	आबकारी, चिंतामण गणेश, खाराकुंआ एवं भेरूगढ़, चिमनगंजमण्डी, ईओडब्ल्यू
3	श्री विवेक कुमार चंदेल अष्टम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	देवासगेट, माधवनगर, नीलगंगा, घट्टिया कोतवाली एवं पंवासा

दिनांक 28.12.2023

क.	न्यायालय का नाम	थाना
1	श्री संजय राज ठाकुर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	जी.आर.पी., वन विभाग, आबकारी, खाराकुंआ, कोतवाली, ईओडब्ल्यू
2	श्री संजय श्रीवास्तव, पंचम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	महाकाल, जीवाजीगंज, नानाखेड़ा, चिंतामण गणेश, पंवासा
3	श्री शशिकांत वर्मा सप्तम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	चिमनगंजमण्डी, नरवर एवं नागझिरी भेरूगढ़,
4	श्री विवेक कुमार चंदेल अष्टम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	देवासगेट, माधवनगर, नीलगंगा, घट्टिया

दिनांक 29.12.2023

क.	न्यायालय का नाम	थाना
1	श्री संजय राज ठाकुर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	जी.आर.पी., वन विभाग, आबकारी, खाराकुंआ, कोतवाली, ईओडब्ल्यू
2	श्री संजय श्रीवास्तव, पंचम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	महाकाल, जीवाजीगंज, नानाखेड़ा, चिंतामण गणेश, पंवासा देवासगेट, माधवनगर,
3	श्री शशिकांत वर्मा सप्तम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	चिमनगंजमण्डी, नरवर एवं नागझिरी भेरूगढ़, नीलगंगा, घट्टिया

दिनांक 30.12.2023

क.	न्यायालय का नाम	थाना
1	श्री सुनील कुमार विशेष न्यायाधीश अजा/जजा उज्जैन	देवासगेट, माधवनगर, घट्टिया
2	श्री संजय राज ठाकुर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	जी.आर.पी., वन विभाग, आबकारी, खाराकुंआ, कोतवाली, ईओडब्ल्यू
3	श्री राजेश जैन चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	चिंतामण गणेश, पंवासा, भेरूगढ़,
4	श्री संजय श्रीवास्तव, पंचम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	महाकाल, जीवाजीगंज, नानाखेड़ा,
5	श्री शशिकांत वर्मा सप्तम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन	चिमनगंजमण्डी, नरवर एवं नागझिरी नीलगंगा,

<u>नोट :–</u>

(1) **उक्त आदेश पूर्व में जारी आदेश के अतिरिक्त केवल शीतकालीन अवकाश अवधि दिनांक 26.12.23 से 30.12.23 तक ही प्रभावशील रहेगा।**

(2) समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **पॉक्सो** से संबंधित जमानत आवेदन पत्र श्रीमती कीर्ति कश्यप षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन के न्यायालय में रीडर द्वारा प्रेषित किये जावेंगे, जिनका निराकरण उनके प्रभारी न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(3) समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले महिला उत्पीड़न से संबंधित (पाक्सो को छोड़कर) जमानत आवेदन पत्र श्री सुनील कुमार शोक, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन के न्यायालय में रीडर द्वारा प्रेषित किये जावेंगे, जिनका निराकरण उनके प्रभारी न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(4) श्री सुनील कुमार, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) उज्जैन के उक्त अवधि में अवकाश या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण किया जावेगा।

(5) एक ही प्रकरण में उसी अभियुक्त का पश्चात्वर्ती (अग्रिम/नियमित) आवेदन–पत्र, पूर्ववर्ती आवेदन–पत्र का निराकरण करने वाले अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

(6) एक ही प्रकरण में सह अभियुक्त के जमानत आवेदन–पत्र का निराकरण उसी अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसके द्वारा अन्य सह अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र का निराकरण किया गया है। यदि पूर्व में एक से अधिक सह अभियुक्त की भिन्न–भिन्न न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की है, तब उनमें से उपस्थित वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश को आवेदन–पत्र अंतरित माना जावेगा।

(7) उपरोक्त अपर सत्र न्यायाधीशगण में से कोई भी अवकाश पर रहते है या अन्यथा अनुपस्थित रहते है तब उनके क्षेत्र का उक्त कार्य, शीतकालीन अवकाश आदेश क्रं. ...... दिनांक .... अनुसार सम्पन्न किया जावेगा।

(8) उक्त थानों के अतिरिक्त यदि कोई थाना उल्लेखित करने से रह गया हो तो उन थानो द्वारा प्रेषित नवीन जमानत की सुनवाई वरिष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा सकेगी।

(9) धारा 138 निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के संबंध में जिस थाने के अंतर्गत चेक अनादृत (Dishonour) हुआ है, उस थाने से संबंधित प्रकरण समझा जावेगा।

(10) सत्र न्यायाधीश के रीडर द्वारा जमानत आवेदन पत्र उक्त आदेशानुसार संबंधित को सीधे प्रेषित किये जावेंगे।

(11) वर्तमान में ऐसे किसी अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण यदि रिक्त न्यायालय द्वारा किया गया है तो उक्त प्रकरण से संबंधित जमानत

आवेदन पत्र का निराकरण पूर्वानुसार कार्य विभाजन पत्रक अनुसार प्रभारी अधिकारी ही संपादित करेंगे, प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश रिक्त न्यायालय का कार्य संपादित करेंगे।

(12) नवीन जमानत आवेदन पत्र से संबंधित मूल सत्र प्रकरण जिस न्यायालय में लंबित है, उसी न्यायालय द्वारा ऐसा जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया जावेगा।

(13) **उपरोक्त पदस्थ न्यायाधीशगण में से किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके पद उत्तरवर्ती न्यायाधीश द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य संपादित किया जावेगा।**

(दीपेश कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृ.क्रमांक 12569 / एक–11–1 / 11 उज्जैन, दिनांक 23 DEC 2023 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, उज्जैन
2. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) उज्जैन
3. .... अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. उपसंचालक अभियोजन कार्यालय उज्जैन
5. लोक अभियोजन कार्यालय, उज्जैन
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)